FUTURE IS HERE

पत्रांक : वाई0ई0ए0 / सम्पत्ति / LFD/ 1014 / 2023
दिनांक 19 / 04 / 2023

अन्तरण पत्र

विषय :– मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 के एल0एफ0डी0–1, नोएडा के अन्तर्गत संस्थागत भूखण्ड संख्या– MASTER PLAN COMMERCIAL PLOT NO. C3-D, AT JAYPEE GREENS WISH TOWN, SECTOR-129, NOIDA, AREA-10365 SQM. के अन्तरण के सम्बन्ध में।

अंतरक के पक्ष से	अंतरिकी के पक्ष में :
अंतरक का नाम :– JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.	अंतरिकी का नाम :– GULSHAN HOMES AND INFRASTRUCTURE PVT. LTD.
पता :– SECTOR-128, NOIDA-201304, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA.	पता :– FLAT NO. 7, 3RD FLOOR, PLOT NO. 4, DAYANAND VIHAR, DELHI-110092, INDIA.

उपरोक्त अंतरण पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन जारी किया जा रहा है :–

1. अंतरक / अंतरिकी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त सम्पत्ति सभी प्रकार से भारमुक्त है तथा कहीं बंधक नही है, बंधक पाये जाने की दशा में अंतरण अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. अंतरिकी को इस पत्र के जारी होने की तिथि से 90 दिनो के अंदर अंतरण प्रलेख का निबंधन, निबन्धन कार्यालय, नोएडा गौतमबुद्धनगर में कराकर उसकी सत्यापित प्रति इस प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी। प्राधिकरण में दाखिल अंतरण प्रलेख का परीक्षण किया जायेगा, सही पाये जान पर भवन / भूखण्ड की दाखिल–खारिज (Mutation) की कार्यवाही की जायेगी। यदि 90 दिनो के भीतर निबंधित अंतरण प्रलेख की सत्यापित प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध नही कराई गई तो अंतरण अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. अंतरण पत्र अंतरण प्रलेख का अनिवार्य अंग होगा तथा अंतरण के साथ परिशिष्ट के रूप में निबंधित किया जायेगा।
4. प्राधिकरण उक्त भूखण्ड / भवन के मूल आंवटी / सबलीजी के मध्य निष्पादित उप–पटटा प्रलेख (सब लीजडीड) बही सं. 01 जिल्द सं. 11790 पृष्ठ सं. 339 से 398 पर कमांक 1952 दिनांक 22.03.2023 में वर्णित प्राविधान एवं अन्तरण पत्र की नियम व शर्ते अंतरिकी पर बाध्यकारी होंगी।
5. अंतरिकी उपरोक्त आवासीय भूखण्ड / भवन का उपयोग दिनांक 28.02.2003 से केवल 90 वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिये पट्टे के रूप में करेगा।
6. उक्त अन्तरण प्रलेख निष्पादनोपरान्त उक्त भूखण्ड / भवन के समस्त दायित्व स्वतः ही अंतरिकी में निहित समझे जायेंगे।
7. अंतरिकी द्वारा उक्त भूखण्ड का उपयोग उप–पट्टा प्रलेख में अनुमन्य भू–प्रयोजन में ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अन्य उपयोग करने पर एवं प्रचलित नियम निर्देशो के अनुपालन न करने की दशा में आवंटन निरस्तीकरण हेतु वाछित कार्यवाही की जायेगी।
8. भविष्य में प्राधिकरण की अवशेष देयताएं, यदि कोई हो, उसका भुगतान अंतरिकी को करना होगा।
9. अंतरण के उपरान्त यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अंतरक / अंतरिकी द्वारा अन्तरण में किसी भी प्रकार का मिथ्या तथ्य का प्रकटीकरण किया गया है तो अन्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय,

(बृजेश कुमार कश्यप)
सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)

प्रतिलिपिः–

1. JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.
2. GULSHAN HOMES AND INFRASTRUCTURE PVT. LTD.
3. M/S JAYPEE INFRATECH LTD., SECTOR-128, NOIDA.
4. MR. ANUJ KUMAR JAIN/IRP
   M/S BSRR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
   8TH FLOOR, BUILDING NO-10, DLF CYBERCITY,
   GURGAON HARYANA-122002.

Kashyap.. 19.4.2023
सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)